# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

संजय पिता सीताराम, विश्राम पिता गोपालभाई
दोनों निवासी कोर्ट रोड, 10 सिविल लाईन, सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.) — — — निगरानीकर्ता/आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन — — — गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् जिलाधीश महोदय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 43बी/121/2015–16 पक्षकार संजय एवं विश्राम बनाम म.प्र. शासन के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 3.011.2015 से पीड़ित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् यह निगरानी याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है। निगरानी समय अवधि में प्रस्तुत की गयी है, जिसकी विवेचना धारा 5 समयावधि विधान के आवेदन में की गयी है।

(1) यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदकगण की संहिता 1959 के लागू होने के पूर्व वर्ष 1953–54 से ही निजी स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 15/1, 15/2, 17, 40, 43, 52/1, 52/2, 62/1, 62/2, 99, रकवा क्रमशः 1.22, 0.63, 0.21, 2.76, 0.59, 0.35, 0.35, 0.11, 0.11, 0.44 हेक्टे., कुल रकवा 6.77 हेक्टे. ग्राम महका प.ह.नं. 55, रा.नि. मंडल सहजपरु, तहसील केसली, जिला सागर स्थित है। उक्त भूमि में सागौन एवं अन्य प्रजातियों के वृक्ष स्थित हैं। जिनका प्रमाणीकरण समय–समय पर राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेख पंचसाला खसरा **(संलग्नक–1)** में किया जाता रहा है।

(2) यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदकगण के पक्ष में श्रीमान् आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्र. 40, 41, 42, अ/6/1996–87 में पारित आदेश दिनांक 28.8.1997 एवं मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट याचिका क्र. 4621/96 में पारित आदेश दिनांक 1.10.97 के प्रकाश में श्रीमान् अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्र. 157/अ/63/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 26.3.1998 **(संलग्नक–2)** जिसका पालन न्यायालय कलेक्टर सागर में आज भी लंबित है, से **सात वर्ष बाद** श्रीमान् अपर कलेक्टर, सागर ने **स्वमेव निगरानी** प्रकरण क्र. 520अ/23/2005–06 के तहत् न्यायालयीन आदेशों की अवमानना करते हुये अवैधानिक आदेश दिनांक 25.9.2003 पारित करते हुये आवेदकगण की वर्ष 1966 में शासकीय पट्टे पर प्रदत्त भूमि, जो नियमानुसार 10 वर्ष बाद 1977 में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज हो गयी, खसरा नं. 39/2, 157, 339, 341, 342, 351, रकवा क्रमशः 2.00, 0.50, 0.21, 1.55, 0.66, 1.22 हेक्टे. के साथ आवेदकगण की वर्ष 1953–54 से

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 02–एक/17 जिला – सागर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2.1.17 | यह निगरानी कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43बी/121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।<br><br>2. प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः नहीं दोहराया जा रहा है।<br><br>3. मैंने आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये। आवेदकगण अभिभाषक द्वारा अपनी बहस निगरानी आधारों पर केन्द्रित करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वर्ष 1953–54 से ही भूमिस्वामी स्वामित्व की प्रश्नाधीन निजी भूमि से संबंधित याचिका क्रमांक 8086/14 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 के आदेशानुसार कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत आवेदकगण के आवेदन दिनांक 20.11.2014 पर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्र. 43बी/121/2015–16 दर्ज कर तहसीलदार केसली से गहन जाँच करायी गयी। वर्तमान तहसीलदार केसली द्वारा पूर्व जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.5.2013 से सहमत होते हुए अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 15.10.2015 को प्रस्तुत की गयी। कलेक्टर सागर द्वारा उक्त जाँच रिपोर्टों, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख, लिखित तर्कों एवं न्याय दृष्टान्तों की विवेचना किये बिना अवैधानिक आदेश दिनांक 30.11.2015 पारित किया है। प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 3.6.2016 से तहसीलदार केसली | |

की जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.5.2013 के अनुसार कार्यवाही हेतु कलेक्टर सागर को निर्देशित किया है। उक्त आधार पर कलेक्टर सागर के आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2015 सहित अधीनस्थ 'न्यायालयों द्वारा आवेदकगणों के विरूद्ध पारित सभी आदेश निरस्त करने तथा मान. उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर सागर के ही निर्देशानुसार प्रस्तुत पूर्व एवं वर्तमान तहसीलदार केसली की जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.5.2013 एवं दिनांक 15.10.2015 के आधार पर कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर सागर एवं तहसीलदार केसली को निर्देशित करने का निवेदन किया है। अनावेदक शासन अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर न्यायालय के आदेश को उचित बताकर निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4. उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ? मान. उच्च न्यायालय के याचिका क्र. 8086/14 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 पर कलेक्टर सागर द्वारा तहसीलदार केसली से विधिवत् गहन जाँच करायी गयी। तहसीलदार केसली द्वारा अपनी पूर्व जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.5.2013 से सहमत होते हुए दिनांक 15.10.2015 को अपनी जाँच रिपोर्ट कलेक्टर सागर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टे से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रकरण में नहीं हैं और न ही कलेक्टर सागर के आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2015 में उसकी विवेचना है। प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग ने भी आवेदकगण की शिकायत पर उपरोक्त परिस्थितियों पर संज्ञान लेते हुए अपने पत्र दिनांक 3.6.2016 से यह पूछते हुये कि "निजी भूमि को शासकीय कैसे घोषित किया जा सकता है ?" कलेक्टर

सागर को तहसीलदार केसली की जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.5.12013 के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। कलेक्टर सागर ने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख, न्याय दृष्टान्तों, तहसीलदार केसली की जाँच रिपोर्टों की कोई विवेचना अपने आलोच्य आदेश में नहीं की है। प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 3.6.2016, पंचसाला खसरा वर्ष 1953—54 तथा कलेक्टर सागर के निर्देशानुसार ही प्रस्तुत तहसीलदार केसली की जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.5.2013 एवं दिनांक 15.10.2015 से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की भूमिस्वामी स्वामित्व की निजी भूमि है एवं निराधार रूप से वर्ष 2008 में अपर कलेक्टर सागर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण के तहत् अन्य शासकीय पट्टे की भूमि के साथ—साथ शासन में वैष्ठित कर दी गयी थी। उक्त संबंध में आवेदकगण ने न्याय दृष्टान्त 1998(1) एम.पी. डब्ल्यू. नोट 26 में मान. सर्वोच्च न्यायालय, 2013 आर.एन. 8 में मान. उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला दिया है, जिनसे मैं सहमत हूँ। अतः कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 स्थिर रखने योग्य नहीं है। परिणामतः कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2015 सहित अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रश्नाधीन निजी भूमि के संबंध में पारित सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार केसली की जाँच रिपोर्ट दिनांक 21.5.2013 एवं 15.10.2015 के अनुसार ही आवेदकगण की प्रश्नाधीन निजी भूमि खसरा नं. 15/1, 15/2, 17, 40, 43, 52/1, 52/2, 62/1, 62/2, 99, रकवा क्रमशः 1.22, 0.63, 0.21, 2.76, 0.59, 0.35, 0.35, 0.11, 0.11, 0.44 हेक्टे., ग्राम महका प.ह.नं. 55, रा.नि. मंडल सहजपरु, तहसील केसली, जिला सागर, को पूर्वतः आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार केसली एवं कलेक्टर सागर को निर्देशित किया जाता है। उक्त जाँच रिपोर्टों में वर्णित

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति के मार्गदर्शी सिद्धांतों वर्ष 2012—13 के अनुरूप एवं अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के ठूंठों की सूची जो तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तैयार करायी गयी है, के अनुसार शासकीय कब्जे के दौरान हुई वृक्षों की अवैध कटाई एवं परिवहन से आवेदकगण को हुई क्षति का आंकलन एवं नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करने हेतु भी तहसीलदार केसली एवं कलेक्टर सागर को निर्देशित किया जाता है। उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही आदेश पारित होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर पूर्ण हो जाना चाहिये। इस न्यायालय द्वारा विवादित शासकीय पट्टे की भूमि खसरा नं. 39/2, 157, 339, 341, 342, 351, रकवा क्रमशः 2.00, 0.50, 0.21, 1.55, 0.66, 1.22 हेक्टे. के संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं किया जा रहा है। अतः यह आदेश इन शासकीय पट्टे की भूमि के खसरा नंबरों पर लागू नहीं होगा। उभय पक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे। इस न्यायालय का अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य